

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :स. 3-5(2)स्था/मंत्रा/अभि/2023/312-31

जयपुर, दिनांक:- 27.03.2023


आदेश

अभियोजन निदेशालय के आदेश प. 27 (3)(8)पदो./अभि./2022/ 2776-2823 दिनांक 21.03.2023 द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत कार्मिकों का स्थानान्तरण/पदस्थापन लोकहित में निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन	वि०दि
1.	श्री बुद्धर मल, पुत्र श्री रामेश्वर लाल	कार्या. सहायक निदेशक अभियोजन, चूरु	कार्या. सहायक निदेशक अभियोजन, चूरु	पदोन्नति पर रिक्त पद
2.	श्री रामाराम पुत्र स्व. श्री पूनाराम	कार्या. सहायक निदेशक अभियोजन, सिरोही	कार्या. सहायक निदेशक अभियोजन, सिरोही	पदोन्नति पर रिक्त पद
3.	श्री देवी शंकर पुत्र श्री रामलाल	कार्या.सहायक निदेशक अभियोजन, बूंदी	कार्या.सहायक निदेशक अभियोजन, बूंदी	पदोन्नति पर रिक्त पद
4.	श्रीमती मंजू देवी धर्मपत्नी स्व. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा	कार्या. सहा. निदेशक अभियोजन, जयपुर महानगर, प्रथम	कार्या. सहायक निदेशक अभियोजन, जयपुर महानगर, प्रथम	श्री अमन के स्थान पर


इसके अलावा श्री अमन कुमार पुत्र श्री शंकरलाल मीना, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, जयपुर महानगर, प्रथम का पदस्थापन इसी कार्यालय में वरिष्ठ लिपिक के रिक्त पद के विरुद्ध किया जाता है।

संबंधित सहायक निदेशक अभियोजन उपरोक्त कर्मचारी की कार्यमुक्ति/ कार्यग्रहण अविलम्ब कराकर पालना सुनिश्चित करें।


(रवि शर्मा)
निदेशक अभियोजन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह (विधि)
2. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन।
3. संबंधित उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
4. उप/सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
5. संबंधित कर्मचारी द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन -----।
6. संस्थापन शाखा (मंत्रालयिक)/विधि शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर